ज्ञान शान्ति मैत्री

महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय,

वर्धा

विद्या-परिषद की

पहली बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक : 07 एवं 08 जुलाई, 2004

ग्रामपयोगी केंद्र,

दत्तपुर, वर्धा

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय

विद्या-परिषद् की (द्विदिवसीय) पहली बैठक : 7 एवं 8 जुलाई 2004

कार्यवृत्त

महात्मा गांधी अन्तरराष्ट्रीय हिन्दी विश्वविद्यालय की विद्या-परिषद् की पहली (द्विदिवसीय) बैठक दिनांक 7 एवं 8 जुलाई 2004 को कुलपति की अध्यक्षता में ग्रामोपयोगी विज्ञान केन्द्र, वर्धा में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नांकित उपस्थित हुए :

1.	प्रो. जी. गोपीनाथन	:	अध्यक्ष एवं कुलपति, म.गं.अ.हि.वि.
2.	डा. एस. तंकमणि अम्मा	:	सदस्य
3.	डा. माजिदा असद	:	सदस्य
4.	श्रीमती मृदुला गर्ग	:	सदस्य
5.	श्री बालकृष्ण पिल्लई	:	सदस्य
6.	डा. रामदयाल मुण्डा	:	सदस्य
7.	प्रो. इंद्रनाथ चौधरी	:	सदस्य
8.	श्री गोविंद मिश्र	:	सदस्य
9.	श्री प्रभाकर श्रोत्रिय	:	सदस्य
10.	प्रो. राम गोपाल बजाज	:	सदस्य
11.	डा. टी.आर. भट्ट	:	सदस्य
12.	श्री मधु मंगेश कर्णिक	:	सदस्य
13.	डा. राम कृपाल तिवारी	:	पदेन सचिव एवं कुलसचिव, म.गं.अ.हि.वि.

अन्य सदस्य प्रो. दया कृष्ण (जयपुर), श्री एस.आर. फारूकी (इलाहाबाद), प्रो. कमलेश दत्त त्रिपाठी (उज्जैन), डा. यू.आर. अनंतमूर्ति (बैंगलोर), प्रो. उदय नारायण सिंह (मैसूर), प्रो. इंदिरा गोस्वामी (दिल्ली), डा. अशोक आर. केलकर (पुणे), प्रो. राम दयाल गुप्ता (उज्जैन), डा. नबनीता देव सेन (कोलकाता) एवं प्रो. बी. ए. प्रभाकर बाबू (हैदराबाद) पूर्व प्रतिश्रुत होने एवं अन्य अपरिहार्य कारणवश उपस्थित न हो सके।

बैठक के शुभारम्भ के पहले कुलपति ने सभी सदस्यों का औपचारिक परिचय करवाया। बैठक में कार्यसूची में दिये गये विषयों पर विचार हुआ। चर्चा का संक्षेप और लिए गए निर्णय नीचे क्रमानुसार लिखे गए हैं :-

[illegible] बोर्डों द्वारा प्रस्तावित तथा कुलपति महोदय द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रमों तथा पाठ्यचर्याओं को स्वीकृति :

विद्या-परिषद् का गठन न होने से, कुलपति को अपने विशेष अधिकारों के अंतर्गत एक तदर्थ पाठ्यक्रम निर्माण समिति की नियुक्ति कर पाठ्यक्रम तथा पाठ्यचर्या प्रणाली तैयार करवाना आवश्यक था। उक्त तदर्थ समिति में

संबंधित क्षेत्रों के जाने-माने विद्वानों को निमंत्रित किया गया था। तैयार पाठ्यक्रमों को कुलपति के अनुमोदन से लागू किया गया है। अतः इन चल रहे तथा तैयार पाठ्यक्रमों को कार्योत्तर स्वीकृति के लिए रखा गया है। *परिशिष्ट 'क'*

विद्या-परिषद् ने विश्वविद्यालय द्वारा पिछले सत्र में चलाए गए निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की :

1. **एम.ए. अहिंसा एवं शांति अध्ययन**
2. **एम.ए. हिन्दी तुलनात्मक साहित्य**
3. **एम.ए. स्त्री अध्ययन**
4. **एम.ए. अनुवाद प्रौद्योगिकी**

विद्या-परिषद् ने नए सत्र से उपर्युक्त पाठ्यक्रमों के अलावा प्रस्तावित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों को भी स्वीकृति प्रदान की :

1. **एम.ए. हिन्दी (भाषा प्रौद्योगिकी)**
2. **एम.ए. जनसंचार माध्यम एवं संप्रेषण**

नए पाठ्यक्रमों में 'अहिंसा एवं शांति अध्ययन' में कुछ संशोधन किए गए। संशोधित पाठ्यक्रम संलग्न है।

2) उपाधियाँ, पदविकायें तथा प्रमाण-पत्रों की स्थापना :

विश्वविद्यालय में चल रहे तथा भविष्य के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रमों पर दी जानेवाली उपाधियाँ, पदविकायें तथा प्रमाण-पत्रों की विधिवत स्थापना आवश्यक है। *परिशिष्ट 'ख'*

विद्या-परिषद् ने इसे स्वीकृति प्रदान की तथा अगले सत्र से एम.एस. डब्ल्यू (समाज कार्य में स्नातकोत्तर उपाधि) भी शुरू करने का निर्णय लिया।

3) शैक्षणिक पदों का निर्माण तथा विषय विशेषज्ञता निर्धारण :

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 18 शैक्षणिक पद विश्वविद्यालय को स्वीकृत किए हैं। विश्वविद्यालय के चार विद्यापीठों में बँटे इन पदों की विषय विशेषज्ञता निर्धारण विद्या-परिषद् द्वारा होना है, अस्तु यह प्रस्ताव *परिशिष्ट 'ग'* के अनुसार स्वीकृति के लिए रखा गया है।

इस विषय में विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय के लिए प्राप्त 18 शैक्षणिक पदों पर नियुक्ति के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नियमावली के अनुसार व विश्वविद्यालय द्वारा आरंभ किए गए पाठ्यक्रमों में अध्यापकों की विशेषज्ञता को प्रमुखता देते हुए वांछनीय योग्यता का प्रारूप तैयार कर प्रस्तुत किया जाय।

प्राप्त प्रारूप को अन्तिम रूप देने के लिए कुलपति की अध्यक्षता में छह सदस्यों की उपसमिति गठित की गई एवं उसकी बैठक 25 जुलाई 2004 को दिल्ली में कर अनुशंसित कार्रवाई को